www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

वर्ष – 15 | अंक–40 | RNI-No.: UPHIN/2011/43806 | लखनऊ,गुरुवार 08 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

यूपी में अब बनेंगे सेमीकंडक्टर

योगी कैबिनेट का मास्टरस्ट्रोक, आएगा बंपर निवेश

खन्ना ने कहा कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है और योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इस उभरते क्षेत्र के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसे हासिल करने के लिए, मंत्रिमंडल ने बड़े निवेशकों के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर विशेष प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है।

लखनऊ 07 जनवरी (एजेसी)उच्च स्तरीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश वाली सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए विशेष, मामले–दर–मामले प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट के समक्ष 14 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 13 को मंजूरी दी गई।

वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहनखन्ना ने कहा कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है और योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इस उभरते क्षेत्र के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसे हासिल करने के लिए, मंत्रिमंडल ने बड़े निवेशकों के लिए मामले–दर–मामले के आधार पर विशेष प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, सेमीकंडक्टर इकाइयां ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों के लिए जीएसटी छूट और 10 वर्षों के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट तक की बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश स्थित पेशेवरों के लिए ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) अंशदान की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जो 2,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है, के साथ–साथ जल शुल्क में रियायतें भी प्रदान की जाएंगी। खन्ना ने कहा, उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना और उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में इस उद्योग पर अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान का दबदबा है।

पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की बातचीत

दोनों ने और अधिक दृढ़ता के साथ आतंक से लड़ने का संकल्प लिया

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें तथा इजराइल के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर मुझे खुशी हुई।'' उन्होंने कहा, ''हमने आने वाले वर्ष में भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।'' मोदी ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय हालात पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

नई दिल्ली 07 जनवरी (एजेसी)प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने आतंकवाद से और अधिक दृढ़ता के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की।उन्होंने कहा, ''अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें तथा इजराइल के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर मुझे खुशी हुई।'' उन्होंने कहा, ''हमने आने वाले वर्ष में भारत–इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।'' मोदी ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय हालात पर भी विचारों का आदान–प्रदान किया।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि ''फर्क समझो, सर जी।''विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन पर ष्दबावष में ष्सरेंडरष करने का आरोप लगाया। गांधी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने हाउस ळव्च् मेंबर रिट्रीट में बोलते हुए दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने का समय मांगा था।

भाजपा पर अखिलेश यादव का तीखा तंज, बोले, सरकार मनरेगा को खत्म करने की गोपनीय साजिश बना रही

नई दिल्ली 07 जनवरी (एजेसी)समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने की कोशिश इस प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना को धीरे–धीरे खत्म करने की एक गोपनीय साजिश रची गयी है। गौरतलब है कि पिछले संसदीय सत्र में पारित नया कानून – विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन –ग्रामीण (वीबी–जीरामजी) अधिनियम, 2025, मनरेगा की जगह ले रहा है। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। इसका ध्यान बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण पर है, जिसमें तकनीक का उपयोग, मजदूरी के लिए केंद्र–राज्य के बीच 60रू40 का नया वित्तीय अनुपात, पारदर्शिता (बायोमेट्रिक,जियो–टैगिंग) और पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों से ग्रामीण कार्यों को जोड़ने का प्रावधान है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा एक सरकारी योजना थी, जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल मजदूरी कार्य की कानूनी गारंटी देती थी। इसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा बढ़ाना और सड़कों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था। यह न्यूनतम मजदूरी, पुरुष–महिला को समान वेतन और 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करती थी। यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान पोस्ट करते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि यह भाजपा की उस मंशा को दर्शाता है जिसके तहत इस योजना को गुपचुप तरीके से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा, मनरेगा का नाम बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। असल में यह मनरेगा को धीरे–धीरे खत्म करने की भाजपा की गुप्त साजिश है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कई तरीकों से इस योजना को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा, एक तरफ भाजपा सरकार लगातार मनरेगा का बजट घटा रही है, दूसरी तरफ उसने राज्यों पर ऐसा वित्तीय दबाव बना दिया है कि केंद्र से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में देरी और कमी के कारण पहले से खाली खजाने वाले राज्य यह सोचने को मजबूर हैं कि अतिरिक्त धन कहां से लाएं। यादव ने दावा किया कि इससे राज्य अंततः इस योजना को सीमित करने या छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे।

सरेंडर मोदी.. राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर पीएम को घेरा

प्रधानमंत्री की लीडरशिप पर उठाए गंभीर सवाल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि ''फर्क समझो, सर जी।''

नई दिल्ली 07 जनवरी (एजेसी)विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन पर ष्दबावष में ष्सरेंडरष करने का आरोप लगाया। गांधी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने हाउस ळव्च् मेंबर रिट्रीट में बोलते हुए दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने का समय मांगा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि ''फर्क समझो, सर जी।'' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पिछले साल जून में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' से संबंधित एक कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण का एक अंश साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप के एक फोन से उनके सामने झुक गए तथा ''नरेन्दर, सरेंडर'' कर गए।उस भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस तथा उसके नेताओं ने महाशक्तियों के सामने कभी 'सरेंडर' नहीं किया, लेकिन थोड़े से दबाव के आगे झुक जाना ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल स्वभाव है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को अपने इस भाषण से संबंधित वीडियो 'एक्स' पर साझा करते हुए पोस्ट किया, ''फर्क समझो, सर जी।''दरअसल, ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ (शुल्क) को लेकर हाल के दिनों में कई ऐसी टिप्पणियां की" जो सरकार को असहज करने वाली हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष कियाउन्होंने ट्रंप के वक्तव्य का वीडियो साझा करते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक, 'डोनाल्ड भाई' और अब यह (सर)। आगे क्या?'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनसे 'ज्यादा खुश नहीं हैं।' ट्रंप ने 'हाउस जीओपी सदस्य रिट्रीट' में अपने संबोधन में यह भी दावा किया, ''प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और बोले, ''श्रीमान्‌, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?' मैने कहा, ''जी हां।

नेहरू को Somnath से थी सबसे ज्यादा घृणा? सुधांशु त्रिवेदी ने चिट्ठी शेयर कर किया सनसनीखेज दावा

नई दिल्ली 07 जनवरी (एजेसी)भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रुख की तीखी आलोचना की। त्रिवेदी ने कहा कि जहां मोहम्मद गजनी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों ने मंदिर को लूटा, वहीं नेहरू भगवान सोमनाथ के प्रति सबसे अधिक घृणा रखते थे। एक श्श पोस्ट में, त्रिवेदी ने नेहरू द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे एक पत्र को साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नेहरू ने उन्हें प्रिय नवाबजादा कहकर संबोधित किया और सोमनाथ के दरवाजों की कहानी को पूरी तरह से झूठा बताया।त्रिवेदी का तर्क है कि यह पत्र एक प्रकार का आत्मसमर्पण दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि नेहरू भारत की सभ्यतागत विरासत की रक्षा करने के बजाय मंदिर के पुनर्निर्माण को कम महत्व देना चाहते थे। त्रिवेदी के अनुसार, पाकिस्तान के दुष्प्रचार का सामना करने के बजाय, नेहरू ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदू ऐतिहासिक प्रतीकों को कमतर आंकना चुना, और राष्ट्रीय आत्मविश्वास से ऊपर बाहरी स्वीकृति को प्राथमिकता दी।एक अन्य श्श पोस्ट में, त्रिवेदी ने दावा किया कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पूर्ण विरोध में थे। उन्होंने बताया कि नेहरू ने मंत्रिमंडल मंत्रियों, राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को पत्र लिखकर मंदिर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर सवाल उठाया

UAPA के तहत आरोपी कैलाश रामचंदानी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, मुकदमे में देरी बनी वजह

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जश्यमाल्य बागची की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि रामचंदानी के खिलाफ आरोप सही प्रतीत हो सकते हैंय हालांकि, वह कोई कुख्यात अपराधी नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जो मामले में चल रहे मुकदमे को प्रभावित कर सके।

नई दिल्ली 07 जनवरी (एजेसी)सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश रामचंदानी को जमानत दे दी, जिस पर 2019 के गढ़चिरोली बम विस्फोट में माओवादियों को अपनी दुकान से तार और अन्य विस्फोटक उपकरण की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है, जिसमें 15 पुलिसकर्मी और एक नागरिक मारे गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि रामचंदानी के खिलाफ आरोप सही प्रतीत हो सकते हैंय हालांकि, वह कोई कुख्यात अपराधी नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जो मामले में चल रहे मुकदमे को प्रभावित कर सके।इसके अलावा, अदालत ने कहा कि मुकदमे की वर्तमान स्थिति के अनुसार, अभियोजन पक्ष 200 से अधिक गवाहों से पूछताछ करना चाहता है, और मुकदमे के निष्कर्ष में काफी समय लगेगा। रामचंदानी को जमानत देते हुए, अदालत ने उसकी रिहाई पर छह शर्तें लगाईं, जिनमें गडचिरोली स्थित उसके पैतृक निवास से बाहर न निकलने का आदेश शामिल है, सिवाय इसके कि आवश्यकता पड़ने पर वह बॉम्बे स्थित निचली अदालत में पेश हो सके। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को साप्ताहिक रूप से स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा और अधिकारियों को अपना मोबाइल नंबर देना होगा। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि आरोपी या उसके वकील मुकदमे में जिरह या किसी अन्य कारण से देरी नहीं करेंगे या स्थगन का अनुरोध नहीं करेंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि जमानत पर रहते हुए आरोपी सह–आरोपियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क नहीं करेगा। ऐसा करते पाए जाने पर अधिकारियों को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा। शुरुआत में, अदालत ने रामचंदानी को अंतरिम जमानत दी थी और मामले की अगली सुनवाई मार्च के अंत में तय की थी। हालांकि, मामले के निपटारे के उद्देश्य से अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। रामचंदानी को 29 जून, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 353, शस्त्र अधिनियम की धारा 5 और विस्फोटक अधिनियम, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।सुनवाई के दौरान, महाराष्ट्र राज्य और एनआईए की ओर से पेश हुई सहायक सरकारी वकील ऐश्वर्या भाटी ने रामचंदानी की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने बताया कि रामचंदानी पर आरोप है कि उन्होंने हमलावरों को आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट करने का निर्देश दिया था। भाटी ने रामचंदानी की प्रत्यक्ष संलिप्तता का आरोप लगाते हुए जोर दिया कि रामचंदानी नक्सलियों को वॉकी–टॉकी और अन्य सामान की आपूर्ति करते थे। आरोपी वन क्षेत्रों में भी गए थे और माओवादियों से मिले थे, जिन पर 2019 के विस्फोट का आरोप है।

सिद्धरमैया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकार्ड!

कर्नाटक बीजेपी ने घेरा, सिद्धारमैया को बताया सबसे बड़ा कर्जदार मुख्यमंत्री

कर्नाटक में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को सिद्धरमैया को 'सबसे अधिक कर्ज लेने वाला मुख्यमंत्री' करार दिया और उन खबरों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि राज्य सरकार जनवरी से मार्च तक की चौथी तिमाही में 93,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है।

कर्नाटक में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को सिद्धरमैया को 'सबसे अधिक कर्ज लेने वाला मुख्यमंत्री' करार दिया और उन खबरों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि राज्य सरकार जनवरी से मार्च तक की चौथी तिमाही में 93,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है। सिद्धरमैया द्वारा कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का इतिहास रचे जाने पर विपक्ष ने कर्ज को लेकर उनकी आलोचना की। सिद्धरमैया वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं।विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर 'कर्नाटक को पीछे धकेलने' का आरोप लगाते हुए कहा कि सिद्धरमैया को यह समझना चाहिए कि इतिहास केवल कार्यकाल की अवधि को महत्व नहीं देता बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। उन्होंने कहा, "सिद्धरमैया सिर्फ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं बल्कि सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री भी हैं।"अशोक ने 'एक्स' एक पोस्ट में कहा, "आंकड़ों और विरासत में अंतर यह है कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का खिताब महज एक आंकड़ा है। सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री का खिताब एक विरासत है।" उन्होंने कहा, "इनमें से एक को भुला दिया जाएगा जबकि दूसरे को कर्नाटक के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जायेगा।" अशोक ने नवीनतम आंकड़ों को चौंकाने वाला बताते हुए कहा, "एक ही तिमाही में 93,000 करोड़ रुपये का कर्ज, भारत में चौथी तिमाही में लिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा कर्ज होगा। इसे शासन नहीं कहा जा सकता, यह घबराहट में किए गए वित्तीय प्रबंधन की सटीक परिहै।"भाजपा नेता के अनुसार, यह कर्ज में भारी वृद्धि राजकोषीय ढांचे के पतन के कारण हुई है, जिनमें पिछले ऋणों को चुकाने के लिए उधार लेना, अस्थिर गारंटी योजनाओं को खतरनाक रूप से वित्तपोषित करने के लिए उधार लेना और बुनियादी आर्थिक नियोजन की विफलता के कारण नकदी प्रवाह में भारी गिरावट आना शामिल है। उन्होंने कहा, "जब किसी सरकार को केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर महीने औसतन 31,000 करोड़ रुपये उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो यह मजबूती का संकेत नहीं बल्कि राजकोषीय तनाव का स्पष्ट सूचक है।"विपक्षी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को यह समझना चाहिए कि इतिहास उनके खोखले कार्यकाल को महत्व नहीं देता। उन्होंने कहा, "इतिहास उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करेगा। और आज जो पीछे छूट रहा है वह निर्विवाद हैरू कर्ज का पहाड़, अक्षमता के स्पष्ट निशान और कर्नाटक राज्य का गिरवी रखा हुआ भविष्य।" अशोक ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड मिट जाते हैं, विरासत खड़ी रहती हैं।

75 लाख के इनामी कमांडर दावा का बड़ा खुलासा, Operation Kagar ने तोड़ी Maoist की कमर

नई दिल्ली 07 जनवरी (एजेसी)सीपीआई (माओवादी) के एक उच्च पदस्थ कमांडर, बदसे सुक्का उर्फ ध्द्देवा उर्फ ध्द्दर्शन, जो हाल ही में तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले 20 माओवादियों में शामिल थे, ने इंडिया टुडे को बताया कि ऑपरेशन खगार के दौरान कई माओवादी कैडर मारे गए, आत्मसमर्पण कर दिया या घर लौट गए। ऑपरेशन खगार एक निरंतर नक्सल–विरोधी सुरक्षा अभियान है जो दक्षिण बस्तर और तेलंगाना सहित आसपास के क्षेत्रों के वन क्षेत्रों में सीपीआई (माओवादी) कैडरों और नेटवर्क को निशाना बना रहा है। एक विशेष बातचीत के दौरान, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) के एक वरिष्ठ कमांडर देवा ने कहा कि उन्हें पुलिस जांच के दौरान उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हथियारों के साथ एक बोलेरो में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने अपनी डायरी सौंप दी थी जिसमें सभी संग्रहित हथियारों की जानकारी थी।छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा पुलिस थाना क्षेत्र के पुव्वार्थी गांव के निवासी देवा (49) पीएलजीए बटालियन कमांडर के रूप में कार्यरत थे और डीके एसजेडसीएम रैंक के अधिकारी थे। उन्हें सीपीआई (माओवादी) के भीतर प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में से एक माना जाता था। देवा 2003 में वरिष्ठ माओवादी नेता मदवी हिदुमा से प्रभावित होकर सीपीआई (माओवादी) में शामिल हो गए। वर्षों से उन्होंने सैन्य योजना, विस्फोटक सामग्री की खरीद और आग्नेयास्त्रों तथा तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता हासिल की।नवंबर 2023 में हिदुमा की पदोन्नति के बाद, देवा को पीएलजीए बटालियन कमांडर नियुक्त किया गया। उन्होंने 2024 में दक्षिण बस्तर में तेज नक्सल–विरोधी अभियानों के दौरान माओवादी संगठनों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में उन्हें केजीएच क्षेत्र में सुरक्षा

और रसद की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को कुल 75 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

सम्पादकीय

चुनावी तोहफे और बढ़ती देनदारियाँ

चुनाव नजदीक आते ही राज्यों में लोकलुभावन घोषणाओं की बाढ़ आना अब सामान्य राजनीतिक प्रवृत्ति बन चुकी है। असम और तमिलनाडु की हालिया घोषणाएँ इसी सिलसिले की अगली कड़ी हैं, जहाँ तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व खड़े किए जा रहे हैं।

असम सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 37 लाख महिलाओं के खातों में 8,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य भले ही महिला सशक्तिकरण बताया जा रहा हो, लेकिन इससे राज्य के खजाने पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या राज्य की वित्तीय स्थिति इस भार को लंबे समय तक वहन करने में सक्षम है?उधर, तमिलनाडु में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को साधने की दिशा में बड़ा दांव खेला है। तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन देने और 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया है। इसके लिए कर्मचारियों का योगदान केवल 10 प्रतिशत होगा, जबकि शेष पूरा बोझ राज्य सरकार उठाएगी। फिलहाल इससे 13,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च अनुमानित है, जो महंगाई के साथ हर साल बढ़ता जाएगा।बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना एक आवश्यक और मानवीय नीति है, लेकिन यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित क्यों हो? देश की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जहाँ न पेंशन है और न सामाजिक सुरक्षा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को एक अलग, सुविधा–प्राप्त वर्ग के रूप में स्थापित करना सामाजिक असमानता को और गहरा करता है।नई पेंशन व्यवस्था इसी असमानता और बढ़ते वित्तीय दबाव को ध्यान में रखकर लागू की गई थी। अब चुनावी लाभ के लिए उसे पलटना न केवल नीति की निरंतरता को तोड़ता है, बल्कि भविष्य की सरकारों के लिए गंभीर आर्थिक चुनौतियाँ भी खड़ी करता है।बेहतर होता कि सरकारें चुनावी वादों की बजाय एक ऐसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति पर काम करतीं, जो समाज के सभी वर्गों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करे। लोकतंत्र में कल्याण आवश्यक है, लेकिन वह दूरदर्शिता और समानता के साथ होना चाहिएकृन कि केवल वोट बैंक को ध्यान में रखकर।

फिर निशाने पर जेएनयू

देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर एक बार फिर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हमलावर हैं। इस संस्थान को टुकड़े–टुकड़े गैंग का अड्डा बताया जा रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से जेएनयू भाजपा और संघ समर्थकों के निशाने पर रहता आया है। खासकर संस्थान के जो छात्र वामपंथी विचारों के हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से देशद्रोही ठहराने की कोशिशें की जाती हैं। वही कोशिशें सोमवार से फिर शुरु हो चुकी हैं।दरअसल सोमवार 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि अन्य पांच सह आरोपियों को जमानत दे दी गई है। जबकि छह साल पहले 2020 में जेएनयू के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसक घटना 5 जनवरी को हुई थी। जिसमें विवि परिसर में नकाबपोश लोगों की भीड़ ने हॉस्टलों में घुसकर छात्रों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया था। इस हमले में तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल हुए थे, इसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे कि आखिर उसके रहते इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। आज तक उस घटना के असल दोषियों को सजा नहीं हुई है। इसी पर हर साल जेएनयू में छात्र इकट्ठा होकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। सोमवार रात भी छात्र एकत्र हुए और जेएनयू परिसर में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसमें उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की भी खबरें हैं। यह सही है कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में कट्टर से कट्टर विरोधी के लिए भी मर्यादा के दायरे में रहकर शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन फिर यह संतुलन दोनों पक्षों से अपेक्षित होता है।अभी केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों ने जेएनयू को टुकड़े–टुकड़े गिरोह का अड्डा बना दिया है। राहुल गांधी, टीएमसी, कम्युनिस्ट जैसे लोग इस गिरोह का हिस्सा हैं... ये लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते। उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों को भारत की जनता ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।सरकार के विरोध में जब भी कोई आवाज शैक्षणिक परिसरों से उठती है, उसे दबाने या फिर गलत साबित करने की कोशिशें शुरु हो जाती हैं। जेएनयू में तो अब होली–दीवाली जैसे मौकों पर भी खान–पान के नाम पर ही झड़पें होने लगी हैं। एक बार तो विजयादशमी पर एबीवीपी ने रावण दहन में अफजल गुरु, उमर खालिद और शरजील इमाम के चित्र लगाकर पुतला जलाए, जिस पर वामपंथी समूहों ने इसे इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। ऐसी तमाम झड़पों और हिंसक घटनाओं के पीछे मकसद यही है कि किसी भी तरह विश्वविद्यालय परिसर को हिंदुत्ववादी गतिविधियों का अड्डा बनाया जाए।सोमवार के विरोध के बाद ही एबीवीपी ने कहा है कि वह इस विरोध प्रदर्शन की शिकायत पुलिस में करेगा। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा है कि छात्र 5 जनवरी, 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए हर साल विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया, विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है। वे किसी को लक्षित करते हुए नहीं थे। बता दें कि जेएनयू में वामपंथी समर्थित छात्र संगठन का कब्जा है और यह भी संघ और भाजपा के लिए एक बड़ी कसक है कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद जेएनयू में वाममोर्चा पस्त नहीं हो रहा है।जेएनयू में सोमवार रात लगे नारों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि आप लोगों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का एक तरीका होता है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने पूछा है कि क्या यह चुनिंदा आक्रोश है? हां, लोग स्वाभाविक रूप से गुस्से में हैं। हममें से कई लोगों को भी लगता था कि शरजील और उमर को जमानत मिल जानी चाहिए थी। पांच साल से अधिक समय बीत चुका है और मुकदमे के नाम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह अपने आप में चिंता का विषय है– संवैधानिक सुरक्षा लागू होने से पहले किसी को कितने समय तक जेल में रहना चाहिए? यह एक तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी चोट है। बता दें कि शीर्ष अदालत के सोमवार के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं, हालांकि कानून के जानकार अधिकतर लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि पांच साल से ज्यादा वक्त तक बिना मुकदमा जेल में रखना क्या मूल अधिकारों का हनन नहीं है। क्योंकि अदालत ने ही जेल को अपवाद और बेल को नियम कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उमर खालिद और शारजील इमाम की जमानत याचिकाएं अभियोजन द्वारा पेश संरक्षित गवाहों की परीक्षा पूरी होने या इस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर (जो पहले हो) विचार की जा सकती हैं। इसके बाद दोनों आवेदक जमानत के लिए फिर आवेदन कर सकते हैं। इस आदेश पर भी जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जब छह सालों में गवाहों की जांच पूरी नहीं हुई तो क्या एक साल में पूरी हो जाएगी। खासकर तब जबकि जांच का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है और इसमें उसी की मर्जी चलेगी। क्या एक साल फिर से बिना मुकदमे के उमर खालिद को जेल में रहना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है. लेकिन ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। इसका मतलब ये कि अगर उमर खालिद दोषी ठहराए जाते हैं तो फिर जो पांच साल उन्होंने कैद में काटे हैं, सजा में उसकी गिनती नहीं होगी।इस फैसले पर देश भर में मंथन चल रहा है और मुमकिन है कि जेएनयू परिसर में 2020 की हिंसा की बरसी के साथ–साथ इस फैसले पर भी छात्र उद्वेलित हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी नारेबाजी में प्रकट की। इसमें शब्दों के चयन पर आपत्ति जतलाई जा सकती है, लेकिन केवल इस वजह से छात्रों को टुकड़े–टुकड़े गैंग जैसे अमर्यादित शब्दों से अपमानित करना ठीक नहीं है। गैंग शब्द से ही आपराधिक प्रवृत्ति की बू आती है, लेकिन खुद नरेन्द्र मोदी खान मार्केट गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और उनकी सरकार में टुकड़े–टुकड़े गैंग बार–बार विरोधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

पंजाब में बढ़ते अपराध

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब में सरेआम की जा रही लक्षित हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुस्साहसी हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम देकर साफ निकल जाते हैं। यह विडंबना ही है कि पंजाब में नये साल की शुरुआत दिनदहाड़े हुई हत्याओं की एक शृंखला के साथ हुई है। अब चाहे लुधियाना जिले में एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की निर्मम हत्या हो या अमृतसर के मैरिज रिसॉर्ट में एक विधायक के करीबी सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या, इनसे पता चलता है कि पंजाब के अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया। निश्चित रूप से ये घटनाएं पंजाब में गंभीर चुनौती बनती एक जटिल समस्या की ओर इशारा करती हैं। इस चिंताजनक होती स्थिति की वजह लगातार अपराधी गिरोहों के नेटवर्क का मजबूत होना, घातक हथियारों की सहज उपलब्धता और पुलिस बल पर लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरोप–प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाए रहते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों के लिये मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते रहते हैं। वहीं सरकार इस संकट को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में छोड़ा गया बताते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि इन बयानबाजियों से नागरिकों की असुरक्षा कम नहीं होती है। वहीं पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की दलील होती है कि पंजाब में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन राज्य में बढ़ते अपराधों के संकट को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब हत्याएं राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होती हैं तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य के पुलिस महानिदेशक की दलील है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिये हथियार, गोला–बारूद और नशीले पदार्थ भेजकर सीमांत राज्य पंजाब के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़े हुए है। निश्चय ही यह बात इस सीमावर्ती राज्य के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

रिपब्लिकन्स क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस

कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव नवम्बर तक नहीं होंगे लेकिन पहले ही रिकॉर्ड संख्या में सदस्यों ने चुनाव न लडने का इरादा घोषित कर दिया है– सदन में कुल 43, साथ ही 10 सीनेटर। शायद सबसे चर्चित व्यक्ति, जॉर्जिया की रिपब्लिकन प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन ने नवम्बर में न केवल सेवानिवृत्त होने का, बल्कि 5 जनवरी को कांग्रेस से पूरी तरह से इस्तीफा देने का इरादा घोषित किया, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूरे एक साल पहले। इस राजनीतिक उथल–पुथल के पीछे कई कारण हैं, जिनमें गतिरोध से उत्पन्न निराशा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की निराशाजनक लोकप्रियता रेटिंग शामिल हैं, जो चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डैमोक्रेट्स के पक्ष में संभावित 'ब्लू वेव' से प्रभावित होने या संभवतरू सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक अथक प्रयासों से भयभीत होने की बजाय, कई रिपब्लिकन्स ने लहर के चरम पर पहुंचने से पहले ही अपने घर लौटने का फैसला कर लिया है। अब तक, 2 दर्जन रिपब्लिकन प्रतिनिधि ा सभा सदस्यों ने या तो सदन से इस्तीफा दे दिया है या 2026 में पुनरू चुनाव न लडने की घोषणा कर दी है। हाऊस रिपब्लिकन कॉकस के भीतर भी बढ़ती चिंता है कि ग्रीन की घोषणा एक चेतावनी है और इसके बाद कई इस्तीफे होंगे। एक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में, जो कांग्रेस और राजनेताओं की पुनरू चुनाव रणनीतियों का अध्ययन करता है, मुझे कई हाऊस सदस्यों को रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक कठिन मध्यावधि चुनाव से पहले पद छोड़ते हुए देखकर आश्चर्य नहीं होता। फिर भी, चुनाव न लडने वाले लोगों की भारी संख्या हमें वाशिंगटन के प्रति व्यापक असंतोष के बारे में कुछ बताती है। कई नियोजित प्रस्थान वास्तव में सेवानिवृत्ति हैं, जिनमें अधिक उम्र के और अधिक अनुभवी सदस्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए, 78 वर्षीय डैमोक्रेटिक कांग्रेसी जेरी नैडलर 34 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, नवोदित चुनौती देने वालों के बढ़ते दबाव और डैमोक्रेट्स के बीच बढ़ती सहमति के बाद कि अब पुराने राजनेताओं के लिए पद छोडने का समय आ गया है। पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो मार्च में 86 वर्ष की हो जाएंगी, भी सेवानिवृत्त हो रही हैं। कई बार, कांग्रेस सदस्य उन्हीं कारणों से पद छोड़ते हैं जिनके कारण अन्य कर्मचारी कोई भी नौकरी छोड़ते हैं। कई अमरीकियों की तरह, कांग्रेस सदस्यों को कहीं और अधिक आकर्षक अवसर मिल सकते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य लॉगिं फर्मों और निगमों के लिए आकर्षक उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि उनके पास संस्था के भीतर की जानकारी और संपर्क होते हैं। अन्य सदस्य चुनावी पद के लिए महत्वाकांक्षी बने रहते हैं और कांग्रेस में अपने पद का उपयोग किसी अन्य पद के लिए एक सीढ़ी के रूप में करने का निर्णय लेते हैं। प्रतिनिधि ा सभा के सदस्य नियमित रूप से सीनेट सीट के लिए चुनाव लडने हेतु सेवानिवृत्त होते हैं, जैसे कि इस बार मिशिगन की डैमोक्रेटिक सांसद हेली स्टीवंस। अन्य सदस्य राज्यपाल सहित कार्यकारी पदों के लिए चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि दक्षिण कैरोलिना की रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस। लेकिन कुछ सदस्य काम से बढ़ती निराशा और कार्यों को पूरा करने में असमर्थता के कारण कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इसके अलावा, इस वर्ष कई राज्यों में मध्य–दशक के पुनघ्वतरण प्रक्रिया के साथ सीमाओं में हुए बदलावों ने सांसदों की प्राथमिकताओं को अस्त–व्यस्त कर दिया है। अपरिचित निर्वाचन क्षेत्र मौजूदा सांसदों को समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने के लिए विवश कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनके स्थापित निर्वाचन क्षेत्रों से उनका संबंध टूट जाता है। टैक्सास में, 6 रिपब्लिकन और 3 डैमोक्रेट (राज्य के पूरे प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिमंडल का लगभग एक चौथाई) या तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका आंशिक कारण 2026 के लिए राज्य का नया निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन है। निचले सदन में रिपब्लिकन बहुमत पहले से ही बहुत कम है, इसलिए इसका नीतिगत नीतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। नवम्बर में होने वाले मध्यावधि चुनावों का परिणाम कुछ भी हो, वाशिंगटन में इन सदस्यों के इस्तीफे का स्पष्ट रूप से महत्व है और ये कांग्रेस में व्याप्त अराजकता के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं।

पैर फैला रही पूंजीवादी व फासीवादी ताकतें

मंगत राम पासला

बंगलादेश में सांप्रदायिक तत्वों द्वारा वहां के धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर किए जा रहे हिंसक हमले और भीड़ द्वारा धार्मिक स्थलों की बेअदबी करना हर पहलू से निंदनीय और बेहद चिंताजनक घटनाक्रम है। धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी पर कातिलाना हमलों का यह घिनौना सिलसिला अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई अन्य देशों में भी देखा गया है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों के भीतर कुछ सिरफिरे अंधाधुंध गोलियां चलाकर बेगुनाहों की लाशों के ढेर लगा देते हैं। दक्षिणपंथी–पिछड़ी सोच वाले ये कातिल गिरोह अक्सर धर्म–जाति, रंग–नस्ल, प्रवास या क्षेत्रीय मुद्दों को आधार बनाकर अपने उक्त कुकर्मों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। भारत के भीतर भी प्रतिक्रियावादी दुत्विवादी संगठनों (बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि) के अराजकतावादी कार्यकर्त्ता और इनके द्वारा पाले गए पेशेवर अपराधी तत्व मुस्लिम और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और प्रगतिशील लोगों को हिंसक हमलों का निशाना बनाते हैं। अपने इन अमानवीय कार्यों को उचित ठहराने के लिए अशांति के इन दूतों ने देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को धार्मिक अल्पसंख्यकों (मुसलमानों, ईसाइयों आदि) से 'फर्जी खतरे' का एक काल्पनिक विमर्श (नैरेटिव) गढ़ा हुआ है। पिछले लगभग 11 साल से आर.एस.एस. की सोच और दिशा के अनुसार राज–काज चला रही भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने इन्हें पूरी सरपरस्ती 'बख्शी' हुई है। पिछले दिनों ईसाइयों के पवित्र त्यौहार क्रिसमस के अवसर पर बजरंग दल और कई अन्य अराजकतावादी संगठनों के हुड़दंगियों ने बेखौफ होकर वहशियाना ढंग से धार्मिक आयोजनों के लिए तैयार किए गए पंडाल तोड़े और ईसा मसीह की मूर्तियां खंडित कीं। गंगा स्नान करने गए विदेशियों के सिरों से क्रिसमस की झलक देने वाली टोपियों का उतारा जाना और सरङ्क्षहद में श्री गुरु गोदिं सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों की याद में मनाए जाने वाले शहीदी जोड़ मेले में निहंग बाणा पहने कम उम्र के 2 बच्चों द्वारा लोगों के सिरों पर पहनी गई टोपियों को जबरन उतारना और नेजों पर टांग कर भद्दी किस्म की संकीर्णता का प्रदर्शन किया जाना, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के भीतर जोर पकड़ रही सांप्रदायिक सोच और कट्टरता को दर्शाता है। 2008 से अमरीका से शुरू हुई 'पूंजीवादी आध्थक मंदी', जिसने दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, ने पूरी दुनिया की राजनीति में घमासान मचा रखा है। इस महामंदी की अभिव्यक्ति बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, तालाबंदी, छंटनी, वित्तीय लेनदेन में बार–बार पैदा हो रही अस्थिरता आदि के रूप में देखी जा सकती है। विभिन्न देशों की पूंजीवादी सरकारें, वहां के कॉर्पोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों के असीमित मुनाफे में और वृद्धि करने में लगी हुई हैं। दूसरी ओर, संकट की सबसे अधिक मार झेल रहे श्रमिक वर्गों को कोई राहत देने की बजाय उन पर टैक्स आदि का बोझ और अधिक लादा जा रहा है, सुविधाओं और सबसिडी में निरंतर कटौती की जा रही है। पूंजीवादी व्यवस्था में पनपे इस आध्थक संकट ने दुनिया के अनेक देशों में तानाशाह प्रवृत्तियों वाली दक्षिणपंथी और फासीवादी ताकतों को अपने पैर पसारने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बलि का बकरा बनाने के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है। अमरीका, भारत, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना आदि देशों में दक्षिणपंथी सरकारों का अस्तित्व में आना इस तथ्य की पुष्टि करता है। इन सरकारों द्वारा मेहनतकश वर्गों को मिलने वाली मामूली आध्थक सुविधाएं, कानूनी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा वापस लेकर इन वर्गों को गरीबी के जंजाल में फंसाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। इन कदमों के विरोध में दुनिया के विकसित पूंजीवादी देशों फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमरीका, स्पेन, इंगलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया आदि के लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और लंबी हड़तालें हुई हैं। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भी यही आर्थिक नीतियां लागू की जा रही हैं, जो मजदूर वर्ग के लंबे संघर्षों और भारी कुर्बानियों के फलस्वरूप हासिल किए गए अधिकारों और रियायतों पर प्रहार करती हैं। मोदी सरकार द्वारा क्रांतिकारी कानूनों में से एक गिने जाने वाले 'मनरेगा' को खत्म करके रोजगार गारंटी से पूरी तरह भागने वाला नया 'वीबी जी राम जी' कानून लाना अत्यंत गरीब लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। इस बात का संतोष है कि दुनिया के श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अपने कड़वे अनुभवों से सीखकर पूंजीवादी ढांचे की बेरहम लूट से मुक्ति के लिए 'समाजवादी व्यवस्था' के निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता को अनुभव करने लगा है। अमरीका, जहां 'कम्युनिस्ट' और 'समाजवाद' शब्दों को कभी बहुत बड़ा हौव्वा बना दिया गया था, वहां भी अब मजदूर–किसान और युवा हाथों में 'समाजवाद' के बैनर और लाल झंडे लिए सड़कों पर जोरदार नारे लगाते अक्सर देखे जा सकते हैं। नए साल के भीतर हम भी प्रयास करें कि भारत भी इस कार्य में पीछे न रहे।

दंगाइयों को कानून का कवच नहीं मिला

fnल्ली के दंगाइयों को शीर्ष अदालत ने राहत देने से सीधा इंकार कर दिया। यह अदालत की अराजकता से निबटने की जीरो टॉलरेंस को नीति का हवाला देता है। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम पर इस मामले में एक साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने हालांकि इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाय अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है।

पीठ ने कहा, अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनकी भूमिका सीमित और परिस्थितिजन्य मानी गई है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने, भीड़ को भड़काने और सुनियोजित तरीके से हिंसा को दिशा देने के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला केवल दो व्यक्तियों की जमानत याचिका का निपटारा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संकल्प का स्पष्ट संदेश है।

आपको पता रहे उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोग कोई साधारण आरोपी नहीं हैं। ये वे चेहरे हैं जिन्होंने विचारधारा की आड़ में सड़कों पर आग लगाने की मानसिकता को खाद–पानी दिया। यह बार–बार साबित हो चुका है कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे। उनके पीछे शब्दों के बारूद, भाषणों की चिंगारी और योजनाबद्ध उकसावे की लंबी तैयारी थी। ऐसे मामलों में यदि अदालत नरमी दिखाती, तो यह न केवल न्याय के साथ अन्याय होता बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक संकेत भी जाता। अदालत ने सही कहा कि इन दोनों की स्थिति अन्य आरोपियों से अलग है। यह अंतर केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। दंगा केवल पत्थर फेंकने से नहीं होता, दंगा उस सोच से पैदा होता है जो समाज को बांटने का काम करती है। जब किसी मंच से यह कहा जाए कि सड़कों पर उतर कर व्यवस्था को जाम कर दो, तब वही शब्द बाद में आग बन जाते हैं। जमानत खारिज करने का फैसला उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। यह फैसला बताता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। मुकदमे में देरी को लेकर अदालत की टिप्पणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्षों से एक तर्क गढ़ लिया गया था कि अगर मुकदमा लंबा चल रहा है, तो आरोपी को स्वतः राहत मिलनी चाहिए। यह सोच न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। अगर गंभीर साजिशों में केवल समय के आधार पर जमानत मिलने लगे, तो हर देश विरोधी ताकत समय को हथियार बना लेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उपद्रवी और दंगाई मानसिकता वाले लोगों पर पड़ेगा।

अब यह भ्रम टूटेगा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया अंततः उन्हें बचा लेगी। देखा जाये तो अदालत का सख्त रुख भारत की आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई को मजबूत करता है। आपको बता दें यह फैसला उन आम नागरिकों के लिए भी भरोसे का आधार है जिन्होंने दंगों में अपने घर, दुकानें और परिजन खोए। उनके लिए न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग इसे कठोरता कहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठोर फैसले जरूरी होते हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की न्यायपालिका आज भी राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और संविधान की मूल भावना को समझती है। यह फैसला आने वाले समय में न केवल कानूनी मिसाल बनेगा, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी होगा जो भारत को भीतर से तोड़ने का सपना देखती हैं। यह निर्णय बताता है कि भारत कमजोर नहीं है, भारत चुप नहीं है और भारत अब दंगों की राजनीति को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।

हालिया कानूनी घटनाक्रमों और न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून से ऊपर समझने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती बढ़ी है। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी होने का लेबल किसी व्यक्ति को आपराधिक जांच या कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। पिछले कुछ वर्षों में भीमा कोरेगांव और दिल्ली दंगों जैसे मामलों में कई चर्चित चेहरों की गिरफ्तारियों और अदालतों द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने को इस दिशा में एक बड़ा झटका माना गया है

आर्य समाज मंदिर की भूमि पर कब्जे का आरोप

-नायब तहसीलदार ने किया सत्यापन

गोसाईगंज–अयोध्या। गोसाईगंज कस्बे के तेलियागढ़ मोहल्ले में स्थित आर्य समाज मंदिर जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी,जिसमें बिगत वर्षों से पूजा–हवन व अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं।आर्य समाज की पवित्र भूमि पर कथित कब्जे को लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया है।बताया गया कि कुछ वर्ष पूर्व आर्य समाज द्वारा मंदिर परिसर के बाहरी सिरे पर कमरे बनवाए गए थे, जिन्हें किराए पर आवंटित किया गया। इन कमरों में स्वर्गीय रामफूल द्वारा लोहे का गोदाम, रमेश सिंह की इलेक्ट्रॉनिक दुकान तथा रामजी मौर्य द्वारा खाद का गोदाम संचालित किया जा रहा है। इसी परिसर में आर्य समाज द्वारा हवन व अन्य धार्मिक गतिविधियां भी की जाती हैं। आर्य समाज के अध्यक्ष शेष प्रकाश मद्धेशिया ने आरोप लगाया कि मंदिर की भूमि व भवन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है।मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल, जनता दरबार तथा डीएम अयोध्या को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक शासन–प्रशासन स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।शिकायत के क्रम में सोमवार को नायब तहसीलदार सदर स्नेहल वर्मा मौके पर पहुंचे और आर्य समाज मंदिर का जांच किया। इस दौरान किराए पर रह रहे लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। जांच के बाद नायब तहसीलदार ने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपी जाएगी और उनके आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं आर्य समाज के अध्यक्ष शेष प्रकाश ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी को आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस बार 150वां स्थापना दिवस होगा जिसमें आर्य समाज के विद्वान एवं सैकड़ों की संख्या में सामाजिक लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान हवन, ध्वजारोहण सहित कई आयोजन प्रस्तावित हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि कार्यक्रम से पूर्व ही कथित कब्जाधारियों को हटवाकर आर्य समाज को उसकी भूमि दिलाई जाए।वहीं दूसरी तरफ किराए पर रह रहे बजरंगी प्रसाद, रामजी मौर्य और रमेश सिंह ने बताया कि आर्य समाज में दो–दो अध्यक्ष होने के कारण विवाद की स्थिति बनी हुई है। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उनसे न तो किराया लिया गया है और न ही परिसर खाली करने संबंधी कोई लिखित नोटिस दिया गया है। जबकि इसके पूर्व शुरू की कमेटी बनी हुई थी उसमें हम लोग बैंक के खाते में किराया का पैसा जमा कर रहे थे।वहीं दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व जो है आर्य समाज मंदिर को विवादित बनाना चाहते हैं आज लगभग 10 वर्ष से अधिक उसमें ना तो हवन हुआ ना ही कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे लोग सिर्फ आर्य समाज मंदिर को बदनाम की करने की प्रक्रिया को कर रहे हैं हम व्यापारी हैं किसी की जमीन पर मालिकाना हक नहीं जता सकते।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने त्रिदिवसीय रामायण मेला का किया उद्घाटन, कटरा रामलीला के सौंदर्यीकरण का दिया आश्वासन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को श्री कटरा रामलीला कमेटी के प्रांगण में अखिल भारतीय रामायण मेला समिति, प्रयागराज के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय रामायण मेला का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने भगवान श्रीराम एवं माता सीता के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।उद्घाटन के पश्चात उपमुख्यमंत्री ने छात्र–छात्राओं द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों की रचनात्मकता की सराहना की। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत के माध्यम से उपमुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों का अभिनंदन किया गया। उपमुख्यमंत्री ने रामायण मेला समिति के श्री हरिओम जी को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा रामायण मेला की वार्षिक पत्रिकाओं का भी विमोचन किया।अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कटरा रामलीला मंदिर को और अधिक भव्य एवं दिव्य स्वरूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके सौंदर्यीकरण के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कटरा रामलीला की भव्यता की सराहना की।उन्होंने कहा कि प्रयागराज तीर्थों का राजा है, जहां हर 12 वर्ष में कुंभ, छह वर्ष में अर्धकुंभ तथा प्रतिवर्ष माघ मेला का आयोजन होता है। इन आयोजनों में देश–विदेश से श्रद्धालु कल्पवास के लिए आते हैं। प्रयागराज की धार्मिक और सांस्कृतिक महिमा अद्वितीय है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रामचरितमानस का अध्ययन कर उसके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में तीर्थ स्थलों का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे यह क्षेत्र पर्यटन का एक नया केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के साथ–साथ प्रयागराज का भी चहुंमुखी विकास हुआ है।इस अवसर पर विधायक चायल पूजा पाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान, अवधेश गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र–छात्राएं और आम नागरिक उपस्थित रहे।

विकल्प खंड-02 स्थित रेस्टोरेंट में कार्यरत युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ(संवाददाता)। राजधानी के विकल्प खंड–02 क्षेत्र में स्थित बर्धिया रेस्टोरेंट में कार्यरत एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना आज 07 जनवरी, 2026 की सुबह पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान शिवम सिंह उम्र लगभग 27 वर्ष पुत्र करुणेश सिंह, निवासी दुलार नगर, चमन भरवा, जनपद हरदोई के रूप में हुई है। बताया गया कि शिवम सिंह दीपावली के समय से उक्त रेस्टोरेंट में कार्यरत था और वहीं अन्य कर्मचारियों के साथ रह रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक ने रात्रि के समय रेस्टोरेंट के बाथरूम में बेडशीट के सहारे फांसी लगा ली।सूचना पर उपनिरीक्षक विकास तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की गंभीरता को देखते हुए मौके की वीडियोग्राफी कराई गई तथा फॉरेंसिक टीम को भी सूचित किया गया। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए लोहिया अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया।रेस्टोरेंट में मृतक के साथ रहने वाले अर्जुन यादव निवासी सीतापुर और अभिनव यादव निवासी बीकेटी, लखनऊ से पुलिस ने पूछताछ की। दोनों ने बताया कि सुबह जब बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद मिला तो काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया, जहां शिवम सिंह को फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई।पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

चोपन खनन हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले अखिलेश यादव, निष्पक्ष जांच और 50 लाख मुआवजे की मांग

लखनऊ(संवाददाता)। सोनभद्र जनपद के चोपन ब्लाक अंतर्गत कृष्णा माइनिंग वर्क्स में 15 नवंबर 2025 को हुए भीषण खनन हादसे में मृत श्रमिकों के परिजनों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भेंट कर अपनी पीड़ा और समस्याएं रखीं। पीड़ित परिवारों ने बताया कि हादसे के बाद सरकार से उन्हें अपेक्षित सहायता नहीं मिली और अब अधिकारी उन पर तरह–तरह का दबाव बना रहे हैं।पीड़ितों ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ था, जब मुख्यमंत्री घटना स्थल से मात्र आठ किलोमीटर दूर चोपन में आदिवासी गौरव दिवस के कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके बावजूद सरकार की ओर से संवेदनशीलता और तत्परता नहीं दिखाई गई। परिजनों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग से उन्हें केवल 1 लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई, जो इस बड़े हादसे और परिवारों की स्थिति को देखते हुए बेहद अपर्याप्त है।अखिलेश यादव ने खनन हादसे में मृत श्रमिकों के आश्रितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिन परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्य खोए हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अखिलेश यादव ने प्रति मृतक परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के साथ–साथ सभी आवश्यक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि खनन माफिया और लापरवाह व्यवस्था की वजह से मजदूरों की जान जा रही है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय आंख मूंदे बैठी है।गौरतलब है कि चोपन ब्लाक के ग्राम बिल्ली मारकुंडी स्थित कृष्णा माइनिंग वर्क्स में हुए इस खनन हादसे में कुल सात श्रमिकों की मौत हो गई थी। मृतकों में इंद्रजीत यादव, संतोष यादव, कृपा शंकर खरवार, राम खेलावन खरवार, राजू गोड़, रविंदर गोंड और गुलाब खरवार शामिल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले पहले पांच श्रमिकों के परिजनों में पार्वती यादव, गायत्री यादव, सरस्वती खरवार, बचिया देवी, मीना देवी, शोभनाथ यादव, इंद्रावती देवी, सूरज नारायण, भगवान गोंड, प्रेम खरवार और गंगा गोंड अखिलेश यादव से भेंट करने पहुंचे। रविंदर गोंड और गुलाब खरवार के परिजन किसी कारणवश नहीं आ सके।इस दौरान मृतक श्रमिकों के परिजनों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अविनाश कुशवाहा, ग्राम प्रधान लक्ष्मण यादव, ओबरा के पूर्व चेयरमैन रमेश सिंह यादव, अखिलेश यादव जिज्ञासु, ओबरा के पूर्व प्रत्याशी सुनील गोंड और सूबेदार गोंड सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पारा पुलिस की तत्परता से बची महिला की जान, जहरीला पदार्थ खाने के बाद समय रहते अस्पताल पहुंचाया

लखनऊ(संवाददाता)। थाना पारा क्षेत्र में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय से एक महिला की जान बच गई। दिनांक 07 जनवरी 2026 को सुबह करीब 10रु30 बजे थाना पारा के कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि हंसखेड़ा निवासी दीपा मिश्रा उम्र लगभग 35 वर्ष, पत्नी प्रकाश मिश्रा, 19 मंजिला कॉलोनी के सामने सड़क किनारे पारिवारिक विवाद के चलते कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है।सूचना मिलते ही उप निरीक्षक मुन्नालाल हमराह उप निरीक्षक हर्ष यादव के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर दीपा मिश्रा गंभीर हालत में जमीन पर पड़ी मिलीं, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप निरीक्षक मुन्नालाल ने बिना समय गंवाए महिला आरक्षी बीतू रानी की सहायता से उन्हें अपने निजी वाहन से निकटतम लोकबंधु अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया।अस्पताल ले जाते समय अवध चौराहे पर संभावित यातायात बाधा को ध्यान में रखते हुए तत्काल ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सूचना दी गई।

मतदाता सूची से 2 करोड़ 90 लाख नाम काटे गए, यह देश का सबसे बड़ा वोट घोटाला: संजय सिंह

लखनऊ(संवाददाता),आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र के साथ खुला खिलवाड़ किया गया है और सुनियोजित साजिश के तहत 2 करोड़ 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर काट दिए गए हैं। संजय सिंह ने इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा "वोट घोटाला" करार देते हुए कहा कि यह कोई चुनाव सुधार नहीं, बल्कि गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है।संजय सिंह ने बताया कि दिसंबर माह में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ग्रामीण मतदाता सूची में 12 करोड़ 70 लाख ग्रामीण मतदाता दर्ज थे, लेकिन 6 जनवरी को विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जो नई मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर केवल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता दिखाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिसंबर में सिर्फ ग्रामीण मतदाताओं की संख्या ही 12 करोड़ 70 लाख थी, तो शहरी मतदाताओं को जोड़ने के बाद कुल संख्या कम कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि यह अंतर अपने आप में लोकतंत्र का मजाक है और इससे साफ होता है कि मतदाता सूची के साथ बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है।आप सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मनमाने ढंग से अलग–अलग श्रेणियां बनाकर वोट काटने का खेल खेला है। लगभग 25 लाख मतदाताओं को दो जगह नाम होने का बहाना बनाकर हटाया गया, करीब 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं को "शिफ्टेड" या "अनट्रेसेबल" घोषित कर दिया गया और 45 से 46 लाख लोगों को मृत दिखा दिया गया। इसके अलावा 84 लाख मतदाताओं को यह कहकर सूची से बाहर कर दिया गया कि वे घर पर नहीं मिले। संजय सिंह ने कहा कि बीएलओ पर ऊपर से दबाव डालकर यह सब कराया गया और जानबूझकर यादव, मुसलमान, पिछड़े, दलित और गरीब तबकों को निशाना बनाया गया।संजय सिंह ने कहा कि "शिफ्टेड" दिखाए गए लाखों लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में काम करने गए हैं। सवाल यह है कि यदि वे वहां भी मतदाता नहीं हैं और उत्तर प्रदेश में भी उनका नाम काट दिया गया, तो उनका मताधिकार आखिर गया कहां? क्या देश के करोड़ों प्रवासी मजदूर लोकतंत्र से बाहर कर दिए जाएंगे। उन्होंने इसे संविधान द्वारा दिए गए वोट के अधिकार पर सीधा हमला बताया।उन्होंने चुनाव आयोग के उस आदेश पर भी सवाल उठाए, जिसमें एक महीने के भीतर नाम जुड़वाने के लिए 13 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि एक गरीब मजदूर हाईस्कूल का प्रमाणपत्र कहां से लाएगा, जिसके पास जमीन नहीं वह जमीन के कागज कैसे देगा और गरीब आदमी पासपोर्ट कहां से बनवाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये शर्तें जानबूझकर इसलिए रखी गई हैं ताकि गरीब और कमजोर वर्ग अपने नाम दोबारा मतदाता सूची में न जुड़वा सके।संजय सिंह ने कहा कि पूरा विशेष गहन पुनरीक्षण असंवैधानिक है और चुनाव आयोग को ऐसा व्यापक पुनरीक्षण कराने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने पहले राज्य निर्वाचन आयोग के तहत ग्रामीण मतदाता सूची बनाई और फिर उन्हीं कर्मचारियों ने एसआईआर के तहत नई सूची बनाई, तो दोनों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि संसद में सुनवाई नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही है और चुनाव आयोग एकतरफा मनमानी कर रहा है।

एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र का गला घोंटा गया

लगभग तीन करोड़ मतदाताओं का अधिकार छीना गया: प्रमोद तिवारी

लखनऊ(संवाददाता)। राज्यसभा में उप नेता प्रतिपक्ष और सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर को लेकर जो आशंका पहले ही जताई थी, वह अब पूरी तरह सच साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार यह चेतावनी देते रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है।आज जो आंकड़े सामने आए हैं, वे इस भयावह षड्यंत्र की पुष्टि करते हैं।प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, जो लगभग तीन करोड़ के बराबर है। उन्होंने बताया कि इनमें से करीब 18 से 19 प्रतिशत वोट कटे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 2 करोड़ 17 लाख मतदाता ऐसे बताए गए हैं, जिन्हें अनुपस्थित या लापता दर्शा दिया गया। ये वही लोग हैं जो नौकरीपेशा हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं, पिछड़े, दलित, गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हैं या फिर पेटी लगाकर रोजी–रोटी कमाने के लिए दूसरे शहरों और राज्यों में गए हुए थे और समय से फार्म नहीं भर सके।उन्होंने कहा कि एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार मतदाता दर्ज थे। इनमें से 46 लाख 23 हजार को मृतक बताया गया और 25 लाख 47 हजार मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर होने का हवाला दिया गया। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद प्रदेश में केवल 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता ही शेष रह गए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह आंकड़ा अपने आप में लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है।प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश के कई राज्यों की कुल आबादी तीन करोड़ नहीं है और दुनिया के 40 से 50 ऐसे देश हैं, जिनकी जनसंख्या भी तीन करोड़ से कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग तीन करोड़ मतदाताओं को एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से काट दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर वोट क्यों काटे गए। क्या सिर्फ इसलिए कि लोग समय पर फार्म नहीं भर सके या घर पर मौजूद नहीं थे। क्या यह लोकतंत्र का तरीका है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट सुझाव था कि एसआईआर की प्रक्रिया एक–दो महीने के बजाय एक से दो साल तक चलनी चाहिए थी, ताकि जो लोग रोजी–रोटी के लिए बाहर गए हैं, वे वापस आकर फार्म भर सकें। आमतौर पर प्रवासी मजदूर और कर्मचारी साल में एक–दो बार ही घर लौटते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त समय दिए बिना जल्दबाजी में पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर के लिए अत्यधिक दबाव और कम समय के कारण मानसिक तनाव में कई बीएलओ की मौत तक हो गई।प्रमोद तिवारी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनके साथ विश्वासघात और छल किया गया है। उनसे संविधान द्वारा दिया गया मताधिकार छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। मतदाताओं का श्राप भाजपा को लगेगा और उत्तर प्रदेश से भाजपा का पूरी तरह सफाया होना तय है।उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए अनगिनत लोगों ने कुर्बानी दी, अपने प्राण न्यौछावर किए, तब जाकर भारत स्वतंत्र हुआ। भाजपा और उसके संगठनों को शायद यह इतिहास पसंद नहीं है और न ही वे इसे समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के संघर्ष के समय भाजपा से जुड़े संगठन अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की अपील कर रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ खड़े थे।प्रमोद तिवारी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, तो उसकी प्रतियां पुणे, मुंबई समेत देश के कई स्थानों पर भाजपा और उसके संगठनों द्वारा जलाई गई थीं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का सबसे सुंदर और मजबूत अधिकार यह है कि राजा का भी एक वोट होता है और गरीब का भी एक वोट। यही समानता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं हुई और आज उसी अधिकार पर सबसे बड़ा हमला किया गया है।

विद्यालयों के आसपास यातायात सुधार को लेकर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ सख्त, 10 जनवरी तक सभी स्कूलों को बनानी होगी कार्ययोजना

लखनऊ(संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में 7 जनवरी 2026 को विद्यालयों के आसपास यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाए जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जनहित याचिका संख्या 3436©2020 गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, बबलू कुमार ने की।बैठक में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त यातायात तथा अन्य यातायात से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के आसपास छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और स्कूल खुलने व बंद होने के समय होने वाली अव्यवस्था को समाप्त करना रहा।बैठक में स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सभी विद्यालयों के नोडल अधिकारियों को अपने–अपने विद्यालयों के बाहर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। जिन विद्यालयों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें तत्काल एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुरूप अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विद्यालय अनिवार्य रूप से एक यातायात नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो विद्यालय के खुलने और बंद होने के समय सहित पूरे विद्यालय अवधि में स्कूल के बाहर यातायात प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। विद्यालयों को अपने परिसर या आसपास केंद्रीकृत एनाउंसमेंट सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल घोषणाएं की जा सकें।बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध पार्किंग स्थलों का उपयोग विद्यालय कर्मियों के साथ–साथ अभिभावकों के वाहनों के लिए भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे सड़क पर अनावश्यक जाम की स्थिति न बने। कक्षा पांच तक के वे बच्चे, जो स्कूल वैन या अन्य वाहनों से एक साथ पांच या उससे अधिक की संख्या में आते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई कि वे स्कूल परिसर के अंदर ही सुरक्षित रूप से वाहन से उतरें और चढ़ें। इसके लिए समुचित प्रबंध किए जाएं।जिन विद्यालयों के पास स्वयं का पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है, उन्हें अपने विद्यालय के निकट किसी उपयुक्त स्थान को चिन्हित कर अस्थायी या वैकल्पिक पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यालयों से अपेक्षा की गई कि वे अभिभावकों को बच्चों के आवागमन के लिए निजी वाहनों के बजाय स्कूल बस या स्कूल वैन के उपयोग के लिए प्रेरित करें।बैठक के दौरान विद्यालयों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों ने अपनी–अपनी समस्याओं और सुझावों को भी साझा किया, जिन पर पुलिस अधिकारियों द्वारा गंभीरता से विचार किया गया।भविष्य की कार्ययोजना को लेकर यह निर्णय लिया गया कि 10 जनवरी 2026 तक सभी विद्यालय यातायात व्यवस्था से संबंधित अपनी कार्ययोजना तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक संयुक्त टीम द्वारा इन कार्ययोजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिसमें विद्यालय प्रबंधन, यातायात पुलिस के अधिकारी और विद्यालयों में नियुक्त यातायात नोडल अधिकारी शामिल होंगे। समीक्षा के उपरांत कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि विद्यालयों के आसपास यातायात व्यवस्था स्थायी रूप से सुरक्षित और सुचारू बनाई जा सके।

कच्चे मकानों में रहने वालों का पक्का घर का सपना होगा पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी देश में अव्वल: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार उन सभी लोगों का पक्का मकान पाने का सपना अवश्य पूरा करेगी, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण2024 के अंतर्गत 58.84 लाख संभावित लाभार्थियों का डाटा कैप्चर किया गया है, जिनके सत्यापन की कार्यवाही लगातार प्रगति पर है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के चलते उत्तर प्रदेश भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। राजमिस्त्री प्रशिक्षण, सोशल ऑडिट, एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निरीक्षण, आवास पूर्णता की गति, पात्र लाभार्थियों को पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराना तथा दोनों स्थायी पात्रता सूचियों के संतृप्तिकरण जैसे मानकों पर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश को पिछले वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य आवासहीन तथा कच्चे एवं जर्जर मकानों में निवास कर रहे ग्रामीण गरीब परिवारों को सुरक्षित, टिकाऊ और पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत वर्ष 2028–29 तक सभी पात्र परिवारों को आवास सुविधा से आच्छादित करने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवास की इकाई लागत 1 लाख 20 हजार रुपये निर्धारित है और निर्मित आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर रखा गया है। आवास में शौचालय निर्माण के लिए धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 90 मानव दिवस का रोजगार देने का भी प्रावधान है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार 60©40 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध कराती हैं।केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि वर्ष 2016–17 से 2024–25 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को 36.56 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 36.37 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो 99.48 प्रतिशत है। शेष आवास निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवास आवंटन के लिए पूर्व में तैयार की गई स्थायी पात्रता सूची पूरी तरह संतृप्त हो चुकी है।

नगराम क्षेत्र में सरसों के खेत से मिला कंकाल, लापता महिला पूनम से जुड़ने की आशंका, पति पर हत्या का आरोप

लखनऊ(संवाददाता)। थाना नगराम क्षेत्र के ग्राम कुबेहरा में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव के गोमती क्षेत्र स्थित एक सरसों के खेत में कंकाल पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। आज दिनांक 07 जनवरी, 2025 को सुबह करीब 10 बजे ग्राम कुबेहरा निवासी चंद्रप्रकाश द्वारा दी गई सूचना पर थाना नगराम पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।मौके पर पाया गया कंकाल क्षत–विक्षत अवस्था में था, जिससे प्रथम दृष्टया उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। हालांकि घटनास्थल के पास पड़ी एक साड़ी के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि कंकाल किसी महिला का हो सकता है। बरामद साड़ी की पहचान पीताम्बर की पत्नी पूनम उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में की जा रही है। घटनास्थल पूनम के घर से मात्र करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 13 दिसंबर, 2025 को थाना नगराम पर पूनम के पति पीताम्बर द्वारा उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि पूनम के दो बच्चे हैं और वह पड़ोस के ही एक व्यक्ति से बातचीत किया करती थी। बताया गया कि गुमशुदा होने से करीब दो माह पूर्व पति रिकॉर्ड ने उससे उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया था, जिससे वह मानसिक रूप से क्षुब्ध थी और इसके बाद वह कहीं चली गई थी

सीएम योगी ने मंत्रिमंडल को सौंपी जमीनी जिम्मेदारी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता तक उनकी सही जानकारी पहुंचाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री अपने–अपने प्रभार वाले जनपदों में जाकर योजनाओं की प्रगति और प्रभावशीलता की स्वयं समीक्षा करें।मुख्यमंत्री ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूची में शामिल पात्र व्यक्तियों की संख्या और किसी भी तरह से छूटे पात्र लोगों की गंभीरता से पड़ताल की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती से संबंधित निर्णयों को जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस विषय पर किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे विभिन्न माध्यमों से जनता को सरकार के निर्णयों की जानकारी दें।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 'जी रामजी योजना' के व्यापक प्रचार–प्रसार की जिम्मेदारी भी मंत्रिमंडल को सौंपी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होगा, जब उनकी जानकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में पीसी (प्रेस कॉन्फ्रेंस), जनसंवाद, बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से योजनाओं और निर्णयों का प्रभावी प्रचार–प्रसार करें। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां और निर्णय जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं और इन्हें जमीन पर उतारना सभी जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बटेश्वर में ग्रामीण पर्यटन को नई उड़ान, नाविक बने संस्कृति और आस्था के कथावाचक

लखनऊ। यमुना तट पर स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन ग्राम बटेश्वर में ग्रामीण पर्यटन को सशक्त बनाने की दिशा में एक अभिनव और महत्वाकांक्षी पहल की गई है। इस पहल के तहत स्थानीय नाविकों को केवल नौका संचालन तक सीमित न रखते हुए उन्हें स्टोरी टेलिंग की कला से जोड़ा गया है, ताकि वे पर्यटकों को बाह–बटेश्वर की संस्कृति, इतिहास और धार्मिक आस्था से प्रभावी रूप से परिचित करा सकें।

मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एमकेआईटीएम), लखनऊ के सहयोग से तथा एसडीआरएफ टीम द्वारा 5 से 7 जनवरी तक आयोजित तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में नाविकों को आपदा प्रबंधन, आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार, सीपीआर और ऑनलाइन पेमेंट जैसी आधुनिक सुविधाओं का प्रशिक्षण दिया गया।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बटेश्वर में ग्रामीण पर्यटन को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। नाविकों को स्टोरी टेलिंग, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर उन्हें केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि बटेश्वर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का संवाहक बनाया जा रहा है। इससे एक ओर पर्यटकों का अनुभव समृद्ध होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे।प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट, लखनऊ के स्टोरी टेलर गौरव श्रीवास्तव ने प्रशिक्षुओं को बाह–बटेश्वर की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रभावी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से घाटों, नौका विहार और प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी रोचक ढंग से पर्यटकों तक पहुंचाई जा सकती है। साथ ही, सैलानियों से शिष्टाचारपूर्ण संवाद और व्यवहार पर भी विशेष जोर दिया गया।गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2024 से उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा लगातार नाविकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है और अब तक 2500 से अधिक नाविकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।एसडीआरएफ टीम ने आपात स्थितियों से निपटने के व्यावहारिक उपाय सिखाए, जबकि चिकित्सकों ने संकट की घड़ी में त्वरित प्राथमिक उपचार एवं सीपीआर की जानकारी दी। नाविकों को पर्यटन क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का भी प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर सभी नाविकों को पहचान और एकरूपता के उद्देश्य से टी–शर्ट और सदरी वितरित की गई।बटेश्वर के अटल संकुल केंद्र में आयोजित इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 32 नाविकों ने भाग लिया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास को केवल स्थलों तक सीमित न रखते हुए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। निरंतर प्रशिक्षण से नाविकों को कौशल, आत्मविश्वास और नई पहचान मिल रही है। सरकार का लक्ष्य समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित करना है कि पर्यटन का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

ऐशबाग मिल रोड पर नगर निगम का सख्त अभियान, फुटपाथों से हटाया गया अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था तेज

लखनऊ। ऐशबाग मिल रोड पर नगर निगम द्वारा व्यापक स्तर पर फुटपाथ सफाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वर्षों से फुटपाथों पर जमे अवैध कब्जों, गंदगी और अस्थायी ढांचों को हटाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को पैदल चलने में हो रही भारी परेशानियों से राहत मिल सके।

नगर निगम की टीम जेसीबी मशीनों और सफाई कर्मचारियों के साथ मौके पर मौजूद रही। अभियान के दौरान फुटपाथों पर फैले कचरे, ठेले और अवैध दुकानों को हटाया गया। साथ ही सड़क किनारे जमा मलबे की भी सफाई की गई।नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने नगर निगम की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और पैदल यात्रियों को सुरक्षित मार्ग मिलेगा।

प्रदेश के शहद को मिलेगी नई पहचान, 'काशी शहद' ब्रांडिंग का आह्वान

लखनऊ। प्रदेश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने, उसकी गुणवत्ता सुधारने तथा मौनपालकों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से उद्यान निदेशालय के प्रेक्षागृह, लखनऊ में "एक दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि, प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया।अपने संबोधन में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा फसलों के परागण के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने का एक प्रभावी साधन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शहद उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, इसके बावजूद प्रदेश के शहद को अभी तक वह विशिष्ट पहचान नहीं मिल पाई है, जिसकी उसमें पूरी क्षमता है।मंत्री ने बताया कि प्रदेश से बाहर भेजा जाने वाला शहद विभिन्न नामों से बाजार में बिकता है, जिससे उत्तर प्रदेश

के शहद की अलग पहचान नहीं बन पाती। इस स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने प्रदेश के शहद को "काशी शहद" के नाम से ब्रांड करने का आह्वान किया, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर प्रदेश के शहद को नई पहचान मिल सके और मौनपालकों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि मूल्य संवर्द्धन और सशक्त ब्रांडिंग से ही किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि संभव है।कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी.एल. मीणा ने की। उन्होंने कहा कि मौनपालन को एक संगठित, वैज्ञानिक और लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और विपणन तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है।इससे पूर्व उद्यान विभाग के निदेशक भानु प्रकाश राम ने कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रदेश में उद्यान विकास, मौनपालन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई), पुणे से आए विशेषज्ञ सरविन सिंह तरार ने वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन, रोग प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता वाले शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी।इस अवसर पर मौनपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के छह प्रगतिशील मौनपालकों को माननीय मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित मौनपालकों में राजू सिंह (गोरखपुर), संजीव कुमार तोमर (गाजियाबाद), निमित सिंह (बाराबंकी), सुनील कुमार अहलावत (मेरठ), ओम प्रकाश मौर्य (हरदोई) तथा बृजेश कुमार वर्मा (लखनऊ) शामिल रहे। सम्मान समारोह के उपरांत इन मौनपालकों ने अपने अनुभव साझा कर अन्य मौनपालकों को प्रेरित किया।प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लगभग 200 मौनपालकों एवं जनपदीय उद्यान अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में हाफेड के चेयरमैन नवलेश प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक डॉ. सर्वेश कुमार, संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव कुमार वर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जनपदवार मूल्यांकन का निर्णय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक बुधवार को आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, सदस्य सूर्य प्रकाश पाल सहित आयोग के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।बैठक के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, उत्थान एवं विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी और समयबद्ध रूप से पहुंचे।आयोग ने निर्णय लिया कि संबंधित योजनाओं के शत–प्रतिशत लाभ की स्थिति का जनपदवार मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे क्रियान्वयन में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जा सके।बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों एवं शैक्षिक प्रवेश में आरक्षण से संबंधित प्राप्त शिकायतों, कुम्हार जाति के लोगों को पट्टे दिए जाने से जुड़ी समस्याओं तथा विभिन्न जातियों के सम्मिलन एवं निष्कासन से संबंधित प्राप्त प्रत्यावेदनों पर भी गंभीरता से विचार किया गया।आयोग ने सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप निर्णय लेने पर बल दिया। साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे आयोग के निर्णयों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की प्रभावी रक्षा हो सके।

लखनऊ में बनेगा पीसीएस भवन, संघ कार्यालय और गेस्ट हाउस की मिलेगी सुविधा

लखनऊ। लखनऊ में पीसीएस अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पीसीएस भवन का निर्माण किया जाएगा। इस भवन में पीसीएस संघ का कार्यालय तथा गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में यह अपनी तरह की पहली पहल है।

पीसीएस संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर सभी पीसीएस अधिकारियों को जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि अब तक लखनऊ में पीसीएस संघ का कोई स्थायी कार्यालय या गेस्ट हाउस नहीं था। शासकीय कार्यों से अधिकारियों को अक्सर सचिवालय या न्यायालय आना पड़ता है, लेकिन रात्रि विश्राम के लिए उन्हें निजी स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ती थी। कार्यालय के अभाव में संघ की गतिविधियों के संचालन में भी कठिनाइयाँ आती थीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में पीसीएस भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

इस दिशा में पहल करते हुए अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने लगभग दो एकड़ भूमि के चयन के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी माह भूमि क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भूमि का क्रय पीसीएस अधिकारियों के सहयोग से एकत्र की गई धनराशि से किया जाएगा।इस निर्णय से पीसीएस अधिकारियों में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल है। शीघ्र ही राजधानी लखनऊ में पीसीएस संघ का अपना कार्यालय और गेस्ट हाउस साकार रूप लेगा।

दिव्यांगजनों के सर्वांगीण पुनर्वासन को नई गति, स्वैच्छिक संस्थाओं को मिलेगा सरकारी अनुदान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सर्वांगीण पुनर्वासन को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार का लक्ष्य है कि दिव्यांगजन शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों में समान भागीदारी सुनिश्चित कर आत्मनिर्भर जीवन जी सकें तथा समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसी उद्देश्य से "दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना" लागू की गई है, जिसके तहत पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा।इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजन इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। योजना का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग बच्चों और युवाओं को प्रारंभिक हस्तक्षेप, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान कर उनके पुनर्वासन की एक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करना है।प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि दिव्यांगजन शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार के हर क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा दे रही है, जिससे दिव्यांगजनों के पुनर्वासन कार्यों को मजबूती मिलेगी।

मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि योजना के अंतर्गत अर्ली इंटरवेंशन सेंटरों की स्थापना, डे–केयर सेंटर एवं प्री–प्राइमरी विद्यालयों का संचालन, प्राथमिक से हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, पाठ्य सामग्री निर्माण, ब्रेल एवं सहायक उपकरणों की उपलब्धता तथा दिव्यांगजनोंसे संबंधित पुस्तकालयों के संचालन जैसे कार्यों को अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। इन प्रयासों का उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है।उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांगजनों के पुनर्वासन में सरकार अनुभवी और समर्पित स्वैच्छिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए पारदर्शी एवं तकनीक आधारित आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। केवल वही संस्थाएं पात्र होंगी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत हों, नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हों, विशिष्ट पहचान संख्या रखती हों तथा दिव्यांगजनों के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्षों का कार्यानुभव रखती हों।मंत्री कश्यप ने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जबकि अंतिम निर्णय निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी लेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सहायता केवल वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी संस्थाओं को ही मिले तथा सरकारी धन का समुचित और परिणामोन्मुखी उपयोग हो सके।उन्होंने कहा कि सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक स्वैच्छिक संस्थाएं इस अभियान से जुड़कर दिव्यांगजनों के पुनर्वासन में सहभागी बन सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के संकल्प के साथ दिव्यांगजनों को सशक्त, शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायल/गह्2026' के लिए चयनित 79 युवाओं से किया संवाद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में 10 से 12 जनवरी, 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉगदृ2026' में प्रतिभाग के लिए चयनित उत्तर प्रदेश के 79 युवाओं से संवाद किया। राज्यपाल ने राजभवन में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उनके उत्साह और वेशभूषा की सराहना की।राज्यपाल ने प्रतिभागियों द्वारा पहनी गई साफाध्पगड़ी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सम्मान, दायित्व और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए वे राष्ट्रीय मंच पर जा रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को और अधिक गौरवान्वित करना उनका दायित्व है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी प्रतिभागी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विजयी होकर लौटेंगे।प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज भारत विश्व को प्रगति की दिशा दिखा रहा है और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का वैश्विक स्तर पर प्रसार समय की आवश्यकता है। उन्होंने योग परंपरा, भारतीय संस्कृति और विरासत को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत ने विश्व को अपनी सांस्कृतिक शक्ति से परिचित कराया है। अपने विदेश प्रवास के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि चीन में बच्चों को योग करते हुए और भारतीय प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन लेते देखना भारत की सांस्कृतिक स्वीकार्यता का सशक्त उदाहरण है।

राज्यपाल ने भाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दिया गया भाषण आज भी प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि विदेशों में युवा हिंदी, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं में रचित ग्रंथों पर शोध करने के लिए भारत आना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नया भारत और नई दुनिया केवल एक–दो भाषाओं से नहीं, बल्कि बहुभाषी दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगी।

उन्होंनेचंदपब प्रतिभागियोंको आपसी परिचय, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और देशभर के युवाओं से मजबूत संबंध स्थापित करने की प्रेरणा दी। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे सकारात्मक और सुंदर परिणाम सामने आएं तथा किसी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ लौटने वाले प्रतिभागियों को पुनः राजभवन आमंत्रित करने की भी बात कही।राज्यपाल ने युवाओं को राजभवन भ्रमण के लिए आमंत्रित किया तथा अपने अनुभवों पर आधारित लेखन या पुस्तक के रूप में विचारों को संजोने, सृजनात्मक सोच अपनाने और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।इस अवसर पर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' की शुरुआत की गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश से चयनित युवा इस वर्ष भी अपनी प्रतिभा और कौशल से प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे।मंत्री ने बताया कि इस राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश से कुल 79 युवा भाग लेंगे, जिनमें 28 युवा कल्चरल एवं इनोवेशन ट्रैक, 45 युवा विकसित भारत चैलेंज ट्रैक, 2 युवा डिजाइन फॉर भारत ट्रैक तथा 4 युवा हैक फॉर सोशल कॉज ट्रैक के अंतर्गत चयनित किए गए हैं।

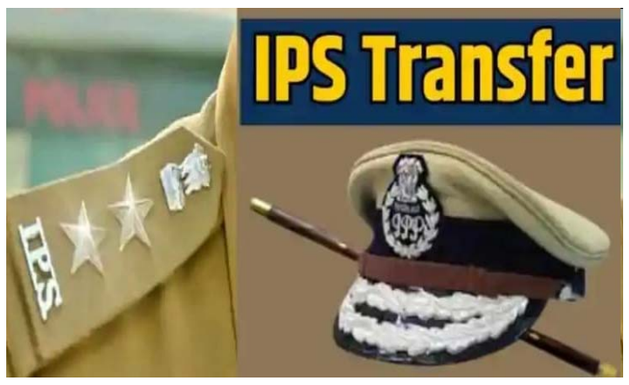

उत्तर प्रदेश में 20 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई एडीजी,आईजी के बदले कार्यक्षेत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तबादलों के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादला सूची के अनुसार राम कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) लॉजिस्टिक्स नियुक्त किया गया है। राजकुमार को एडीजी मानवाधिकार, जबकि ज्योति नारायण को एडीजी प्रयागराज जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव गुप्ता को एडीजी पुलिस मुख्यालय तथा प्रशांत कुमार को एडीजी प्रशासन बनाया गया है। तरुण गाबा को एडीजी सुरक्षा, लखनऊ नियुक्त किया गया है, वहीं आशुतोष कुमार को एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड की कमान सौंपी गई है। अपर्णा कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त, लखनऊ बनाया गया है। आईजी स्तर पर राजेश मोदक को आईजी स्थापना, उत्तर प्रदेश तथा आर.के. भारद्वाज को आईजी रेलवे, लखनऊ बनाया गया है। किरण एस को आईजी लखनऊ परिक्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। आनंद कुलकर्णी को आईजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन तथा अमित वर्मा को आईजी आर्थिक अपराध शाखा (म्व्), लखनऊ नियुक्त किया गया है। अखिलेश कुमार निगम को आईजी सीआईडी, लखनऊ तथा एन. कोलांची को आईजी रेलवे, प्रयागराज बनाया गया है। राजीव मल्होत्रा को आईजी यूपीएसआईएफएस (न्चैथ्) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।डीआईजी स्तर पर रोहन पी. कनय को डीआईजी विशेष जांच, मोहम्मद इमरान को डीआईजी भवन एवं कल्याण तथा संतोष कुमार मिश्रा को डीआईजी पीटीएस जालौन नियुक्त किया गया है। वहीं विजय ढुल को अपर पुलिस आयुक्त, प्रयागराज बनाया गया है। इन तबादलों को पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी एवं

दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद रैन बसेरों का किया विस्तृत निरीक्षण

लखनऊ/गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरक्षनाथ की विधिवत पूजा–अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री का यह दौरा आध्यात्मिक आस्था के साथ–साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने से भी जुड़ा हुआ है।पूजा–अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर के बरगदवा और राप्ती नगर क्षेत्रों में निर्मित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रैन बसेरों में उपलब्ध सुविधाओं, साफ–सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली, कंबल और ठंड से बचाव की अन्य व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वहां ठहरे जरूरतमंदों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शीतकाल के दौरान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खुले में रात बिताने के लिए मजबूर न होना पड़े। रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में कंबल, बिस्तर, हीटर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि रैन बसेरों की नियमित निगरानी की जाए तथा साफ–सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीब, असहाय और निराश्रित लोगों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शीत लहर और ठंड के मौसम में रैन बसेरे जरूरतमंदों के लिए जीवन रेखा साबित होते हैं, इसलिए इनमें मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।दो दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही वह जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून–व्यवस्था, विकास कार्योंऔर जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

नलकूप विभाग ने दर्जन भर किसानों का भेजा वारंट

सोहावल–अयोध्या। सरकारी नलकूप संख्या 42 एफजी से जुड़े तहसीनपुर के दर्जन भर किसानों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नलकूप विभाग ने अपनी अदालत से इनका वारंट जारी कर दिया है। किसानों पर यह मुकदमा नलकूप विभाग की नाली की भूमि काटकर अवैध कब्जा करने को लेकर है। इसे लेकर किसानों ने सोमवार को समाधान दिवस पर जिलाधिकारी के समक्ष भी न्याय के लिए गुहार की है। राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ अयोध्या के किनारे टोल प्लाजा के निकट स्थापित इस सरकारी नलकूप से जुड़े करीब 22 किसानों पर नलकूप विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विभाग में करीब 8 वर्ष पहले मुकदमा किया था। पेशी दर पेशी किसानों ने अपना पक्ष रखते हुए विभाग के अभियंताओं की जांच रिपोर्ट पक्ष में बता कर मुकदमे से फुर्सत पा ली थी। अचानक तीन दिन पहले नलकूप विभाग का यह जिन्न फिर बाहर आ गया और रौनाही थाने की पुलिस ने इसे लेकर 11 किसानों का वारंट आने की बात कही तो किसानों के पैरों तले धरती खिसकने लगी। वारंट की चपेट में बताए जा रहे किसान रामनाथ मिश्रा, ध्यानीस कुमार, पंचम लाल, स्वामीनाथ, हरीश मिश्रा, केशव राम, शिवकरण, शिव वरदान,द्वारिका, गंगाराम, राम बरन यादव आदि में से कुछ ने इसे विभाग की दबंगई और उत्पीड़न की संज्ञा देते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार की है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।

सम्पादक

आरती पाण्डेय

ek-

9807059191- 9026560178

Email-
adbhutsamachar@gmail.com
adbhutsamachar@hotmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।